तारीख हुक्म	फर्द अहकाम (नियम 15) हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सतीशचन्द आसोपिया बनाम लो0 सू0 अधि0 एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर प्रथम अपील, (मु0संख्या 17/2024) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जीसीएमएस न0 2024/38)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.08.2024	अपीलान्ट अनुपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा वांछित सूचना समय अवधि में उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण प्रस्तुत की है। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर को अपील की प्रति भिजवाई जाकर उनसे टिप्पणी प्राप्त की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपने पत्र कमांकः रसद/आरटीआई/2024/1246दिनांक 16.08.2024 के द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट में अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना से सम्बधित रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना पाया गया तथा उक्त सूचना से सम्बधित पत्रावली कार्यालय के पूर्व कार्मिक द्वारा चार्ज में उपलब्ध नहीं कराई गई है। पूर्व कार्मिक को उक्त रिकार्ड को उपलब्ध कराने एंव चार्ज हस्तान्तरण करने हेतु पत्र लिखा गया है जिसके पत्र की प्रति प्रस्तुत की है। अतः हमने लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी धौलपुर द्वारा प्रस्तुत टिप्पणी/रिपोर्ट का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी धौलपुर ने अपनी रिपोर्ट में यह अंकित किया है कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई सूचना से सम्बधित रिकार्ड कार्यालय में उपलब्ध नहीं होना पाया गया तथा उक्त सूचना से सम्बधित पत्रावली कार्यालय के पूर्व कार्मिक द्वारा चार्ज में उपलब्ध नहीं कराई गई है। पूर्व कार्मिक को उक्त रिकार्ड को उपलब्ध कराने एंव चार्ज हस्तान्तरण करने हेतु पत्र लिखा गया है। अतः यह अपील, अपीलान्ट इन निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है कि जिला रसद अधिकारी धौलपुर सूचना से सम्बधित रिकार्ड की तलाश कर अपीलान्ट को नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराई जावे तथा रिकार्ड न मिलने की स्थिति में सम्बधित के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी धौलुपर एवं अपीलान्ट को उपलब्ध कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो नम्बर से कम की जावे। (श्रीनिधि बी टी) जिला कलक्टर	